जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.208)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी–798 दिनांक :30.01.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	208.1	कार्यकारी समिति की 207 वीं बैठक दिनांक 15.12.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 207 वीं बैठक दिनांक 15.12.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	208.2	कार्यकारी समिति की 207वीं बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 207वीं बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	208.3	ईडब्लयूएस/एलआईजी की योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ईडब्ल्यूएस–155(C) के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात ईडब्लयूएस/एलआईजी की योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ईडब्ल्यूएस–155(C) के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त (जोन–12)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नियमितीकरण के ऐसे प्रकरण जो आवंटन तिथि से तीन वर्ष से अधिक अवधि के हों उनके नियमितीकरण के लिए विचार नहीं किया जावे।	
4.	208.4	स्व. श्री इकरामुद्दीन, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराये गये ईलाज पर व्यय की गई राशि के पुर्नभरण की स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात स्व. श्री इकरामुद्दीन, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी का इलाज विशेष परिस्थितिवश प्राधिकरण से गैर-अनुमोदित अस्पताल (मेदान्ता हॉस्पिटल, गुड़गांव) में कराये गए इलाज में व्यय हुई राशि रूपए 79,822.36 में से एस. एम. एस. अस्पताल/अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने पर होने वाले चिकित्सा व्यय का भुगतान उनकी आश्रिता पत्नि श्रीमती ज़रीना बैगम को किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
5.	208.5	खसरा नम्बर 1093, राजस्व ग्राम आकेडा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 48(सी) की नजराना राशि तीन वर्ष 6 माह देरी से जमा होने पर नियमितीकरण बाबत।	इस प्रकरण में नज़राना राशि लगभग 3 वर्ष 6 माह पश्चात जमा हुई है, परन्तु प्रकरण द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाला) से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से सम्बन्धित होने के कारण इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार	उपायुक्त (जोन-2)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
6.	208.6	वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल स्कीम भांकरोटा) योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी–18 के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी–18 वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल स्कीम भांकरोटा) योजना के सम्बन्ध में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
7.	208.7	भू– उपयोग परिवर्तन सांस्थानिक से आवासीय किए जाने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात सिविल रिट (पीआईएल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण पर पुनर्विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त (जोन–10)
8.	208.8	प्राधिकरण में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारी-II को वाहन क्षति–पूर्ति भत्ते की राशि स्वीकृत किये जाने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात प्राधिकरण में पदस्थापित श्रेत्रीय वन अधिकारी–II का ग्रेड–पे भी कनिष्ठ अभियंता के समान होने के कारण तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी–II का कार्यक्षेत्र कनिष्ठ अभियंता से अधिक होने के कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी–II को भी कनिष्ठ अभियंताओं को दिए जाने रहे वाहन क्षतिपूर्ति भत्ता राशि रूपए 1000/– प्रतिमाह के समान ही वाहन क्षतिपूर्वति भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
9.	208.9	Agenda Note for Approval of tender for the work of "Providing, Laying and Jointing of DI Pipe line for shifting at Galta ji road to Khole ke Hanuman ji entrance gate Delhi road, under EE PHE-II." in favour of overall lowest bidder (L1) M/s Narsi Prasasd Singhal.	विचार–विमर्श पश्चात "Providing, Laying and Jointing of DI Pipe line for shifting at Galta ji road to Khole ke Hanuman ji entrance gate Delhi road, under EE PHE-II." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स नरसी प्रसाद सिंघल के पक्ष में "G-Shedule based on BSR" पर एजेण्डानुसार Part-A के लिए 29.00% कम दर पर राशि रूपए 1,29,67,428.64 एवं Prta-B के लिए 15.00% कम दर पर राशि रूपए 3,06,784.13 कुल राशि रूपए 1,32,74,212.80 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
10.	208.10	रिंग रोड परियोजना में अवाप्त भूखण्डों के बदले दिये गये भूखण्डों में आवंटित क्षेत्रफल से अधिक बढे क्षेत्रफल की भूमि आवंटन करने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात रिंग रोड परियोजना में अवाप्त भूखण्डों के बदले दिए गए भूखण्डों 162 (मारूति नगर), 413 (खण्डेलवाल वाटिका), 414 (खण्डेलवाल वाटिका) एवं 412 (खण्डेलवाल वाटिका) में आवंटित क्षेत्रफल से अधिक बढ़े क्षेत्रफल की भूमि को योजना की आरक्षित दर पर	उपायुक्त (जोन–10)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
11.	208.11	संकल्प नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 311 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात संकल्प नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 311 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त (ज़ोन–12)
12.	208.12	ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 210, 212, 216, 217 की भूमि का उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2025 में होटल/पर्यटक इकाई (व्यावसायिक) करने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात सिविल रिट (पीआईएल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण पर पुनर्विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त (ज़ोन–14)
13.	208.13	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी–18 वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल स्कीम भांकरोटा) योजना के सम्बन्ध में।	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी–18 वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल स्कीम भांकरोटा) योजना के सम्बन्ध में विस्तार से विचार–विमर्श कर यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि केवल नीलामी द्वारा निस्तारित किए गए ऐसे प्रकरण जिनमें	निदेशक (वित्त)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			नज़राना राशि किश्तों में ब्याज साहित जमा कराने की अनुमति दी गई हो, उनमें यदि केता द्वारा कोई भी किश्त जमा कराने के निर्धारित तिथि से 15 दिवस अथवा उससे कम दिवस में किश्त की राशि जमा करवाता है तो उस स्थिति में ब्याज राशि जमा कराने में छूट प्रदान की जा सकती है। यह छूट केवल नीलामी द्वारा निष्पादित भूखण्डों पर ही प्रभावी होगी।	
14.	208.14	Approval of Tender for the work "Construction for RUB on Jaipur-Sikar Railway line Near Bridge no. 107 to connect Anand Lok and Swapan Lok JDA schemes."	विचार–विमर्श पश्चात "Construction for RUB on Jaipur-Sikar Railway line Near Bridge no. 107 to connect Anand Lok and Swapan Lok JDA schemes." के लिए नॉन–बीएसआर आईटमों हेतु नेगोसिएशन के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर विकास आयुक्त को नेगोसिएटेड दरों एवं निविदाओं की स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
15.	208.15	Approval of Tender for the work "Widening of Bambala High level bridge on Tonk Road, Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Widening of Bambala High level bridge on Tonk Road, Jaipur." के लिए नेगोसिएशन के प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए न्यूनतम दरदाता मैसर्स VCL-DRAIPL (JV) के पक्ष में "G-Shedule based on RUIDP BSR 2013" पर 18.81% कम दर पर राशि रूपए	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			16,50,14,693.09 एवं Non BSR items राशि रूपए 6,30,993.00 कुल रूपए 16,56,45,686.09 की निविदा की बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई।	
16.	208.16	Tender for the work "Renewal and repairing of BRTS corridor on Sikar Road, from C-Zone bye pass to Panipech, zone-BRTS (Project-1), JDA , Jaipur (Various General maintenance and road furnishing work excluding Bituminous Works)".	विचार–विमर्श पश्चात "Renewal and repairing of BRTS corridor on Sikar Road, from C-Zone bye pass to Panipech, zone-BRTS (Project-1), JDA , Jaipur (Various General maintenance and road furnishing work excluding Bituminous Works)". के लिए पहले निविदादाता से सहमति लिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
17.	208.17	National Capital Regional Planning Board (NCRPB) से प्राधिकरण में स्वीकृत रेलवे ऑवर ब्रिज, रेलवे अण्ड़र ब्रिज एवं एलिवेटेड़ रोडत्र हेतु कुल 565.50 करोड़ रूप्ये का ऋण प्राप्त करने की (Ex-post facto) कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित सात प्रोजेक्ट्स हेतु National Capital Regional Planning Board (NCRPB) से 565.50 करोड़ रूपए के ऋण एवं राज्य सरकार से राजकीय प्रतिभूति प्राप्त करने के ऐवज में राज्य सरकार को गारन्टी कमीशन की 1 प्रतिशत राशि दिए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)

(पुरूषोत्तम बियाणी)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 को सायंकाल 3:30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पुरूषोत्तम बियाणी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री बृजेश किशोर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री ए.के. कुमावत	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री आर.एम. झालानी	अधिशाषी अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री अशोक रावत	अधिशाषी अभियन्ता (सी.डी II)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	डा. तेजपाल सिंह	अति. पुलिस उपायुक्त. मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री ओ.पी. बुनकर	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री राजकुमार शर्मा	अति. मुख्य अभियन्ता- II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री जे. पी. सिंघल	अति. मुख्य अभियन्ता-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री अशोक चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता-पीएचई	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री आर.एल. गुर्जर	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री नवल किशोर बैरवा	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री अशोक कुमार चौधरी	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता- आरओबी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
22.	श्री संजय शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री मनोज कुमार सिंह	अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई- II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सुनील शुक्ला	अधिशाषी अभियन्ता-(आर.ओ.बी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री वी. एम. जौहरी	अधिशाषी अभियन्ता-आर.ओ.बी II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री एस. विक्रम सिंह	अधिशाषी अभियन्ता-आर.ओ.बी I	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री सुरेन्द्र सिंह	सहायक नगर नियोजक-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पुरुषोत्तम बियाणी)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.208)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी–   दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(एस. मित्रा) (एस. मित्रा)
सयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट) संयुक्त आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (सिस्टम्स मैनेजमेंट)